BSES

65वें स्वतंत्रता दिवस पर जारी सलाह

पतंगबाजीः बिजली उपकरणों से दूर रहें, मैटलिक मांझे का प्रयोग न करें

- बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना कानूनन दंडणीय अपराध है
- मैटेलिक मांझा अगर बिजली लाइनों के संपर्क में आ जाए, तो बिजली गुल होती है
- मैटलिक मांझा मौत का कारण भी बन सकता है
- पिछले साल, स्वतंत्रता दिवस पर बीएसईएस इलाके में पतंगों की वजह से 23 ट्रिपिंग हुई थीं

नई दिल्लीः 9 अगस्त, 2012। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े पैमाने पर होने वाली पतंगबाजी हजारो लोगों की बिजली गुल कर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने अपनी ओएंडएम टीमों के लिए हाईअलर्ट जारी किया है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं पतंगबाजी की वजह से ट्रिपिंग होती है, तो इलाके में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था सुचारू की जाए। साथ ही, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मैटलिक मांझे का प्रयोग न करें। मैटेलिक मांझा न सिर्फ इलाके की बिजली गुल कर सकता है, बल्कि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है।

इन दिनों बड़े पैमाने पर पतंगबाजी हो रही है। और, 15 अगस्त के दिन तो दिल्ली का पूरा आसमान ही पतंगों से पटा नजर आने वाला है। हर साल पतंगबाजी की वजह से बिजली की लाइनों व उपकरणों को नुकसान पहुंचता है। कभी–कभी तो इससे पतंग उड़ाने वाले की मौत तक हो जाती है। पिछले साल, स्वतंत्रता दिवस पर बीएसईएस इलाके में पतंगों की वजह से 23 ट्रिपिंग – 10 बीवाईपीएल में और 13 बीआरपीएल में – हुई थीं।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए बीएसईएस ने एकबार फिर पतंगबाजी के शौकीनों से अपील की है कि वे पतंग तो उड़ाएं, लेकिन संभलकर। बीएसईएस के मुताबिक, इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप पतंगबाजी के लिए जिस मांझे का उपयोग कर रहे हैं, कहीं वह मैटेलिक तो नहीं! यानी, मांझे को तैयार करते वक्त कहीं धातु का प्रयोग तो नहीं किया गया है। यदि हां, तो न सिर्फ इससे कई इलाकों में बिजली गुल होने का खतरा है, बल्कि आपकी जान के लिए भी यह खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल, जब धातुयुक्त मांझा बिजली की तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है, तो बड़े पैमाने पर ट्रिपिंग होती है और कई इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं। बिजली की तारों/ उपकरणों के संपर्क में आने वाले मैटेलिक मांझे को अगर कोई छू ले, तो वह घायल हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती हैं।

यदि पतंगबाजी की वजह से 33/66 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो करीब 10,000 लोगों की बिजली ठप हो जाएगी। यदि 11 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो लगभग 2500 लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी।

वैसे, पतंगबाजी और मैटेलिक मांझा आदि के बारे में बीआरपीएल और बीवाईपीएल अपने इलाकों के आरडब्ल्यूए और अन्य नागरिक संगठनों को जागरूक करती रही है। बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बच्चों को मैटेलिक मांझे के बारे में जागरूक करें और यह भी बताएं कि कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं। यह उनकी जान को जोखिम में डाल सकता है।

कानून के मुताबिक यह दंडणीय अपराध भी है। बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली के उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सजा का भी प्रावधान है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

.....